

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु.नं.0 (1) सन् 2019

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में जारी  
हुए

02.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।


प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का हंदा ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी 2071-74 की प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक हंदा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हंदा तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्बन्ध 2075-78 में खाता संख्या 23 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शरह एकलिया	23	मोहनसिंह पुत्र रुघनाथसिंह जाति राजपूत हिस्सा 30.77 है. सा. सियाणा भाटियान खातेदार रहन- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हदां बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी	मोहनसिंह पुत्र रुघनाथसिंह जाति राजपूत हि. 43/70 हि. सा. सियाणा भाटियान खातेदार रहन- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हदां बाकी मांदा बदस्तूर जमाबंदी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत व मुख्य शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हदां को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्य जाव्वा दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत